

प्रेषक,

गोपाल मीणा,
श्रमायुक्त, बिहार ।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,

अररिया/अरवल/औरंगाबाद/ बांका/बेगूसराय/भागलपुर/भोजपुर/बक्सर/दरभंगा/जहानाबाद/
पूर्वी चम्पारण(मोतिहारी)/गया/जमुई/कटिहार/खगड़िया/मधेपुरा/मधुवनी/मुंगेर/मुजफ्फरपुर/
नालन्दा(बिहारशरीफ)/पटना/पूर्णियाँ/समस्तीपुर/सीतामढ़ी/सुपौल/वैशाली(हाजीपुर)।

पटना, दिनांक :- 8.2.17

विषय:-

मुख्य शीर्ष-2230 श्रम एवं रोजगार उप मुख्य शीर्ष-01-श्रम-लघु शीर्ष-112-बंधुआ मजदूर का
पुनर्वास-माँग सं०-26-उप शीर्ष-0201-बंधुआ मजदूर का पुनर्वास तथा समाजिक सुरक्षा एवं
कल्याण कार्यक्रम (विपत्र कोड-पी० 2230011120201) के अन्तर्गत निधि का आवंटन ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक- S-11012/05/2001-
BL(Vol. II) दिनांक-14.10.16 के संदर्भ में बंधुआ मजदूर पुनर्वास कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राप्त केन्द्रांश की
राशि ₹ 179.20 लाख मात्र के विरुद्ध विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-2257 दिनांक-24.5.16 के आलोक में
चालू वित्तीय वर्ष-2016-17 में 31 मार्च, 2017 तक व्यय के निमित्त विपत्र कोड- पी० 2230011120101 एवं
पी० 2230017890102 से क्रमशः सामान्य एवं अनुसूचित जाति के बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास हेतु पूर्व में प्रेषित
राज्यांश की राशि के विरुद्ध कुल 1200 बंधुआ मजदूरों के लिए विषय शीर्ष व्यावसायिक एवं विशेष सेवा
(28 01) से प्रति बंधुआ मजदूर ₹ 10,000/- (रूपये दस हजार) मात्र की दर से संलग्न विवरणी के अनुसार
निधि का आवंटन किया जाता है।

3. यह आवंटन कुल ₹ 1,20,00,000 (₹ एक करोड़ बीस लाख) मात्र वित्त विभाग के
पत्रांक-423/वि० दिनांक-31.03.16, पत्रांक-4572/वि० दिनांक-03.06.2016 एवं वित्त आयुक्त के स्थायी
ज्ञापांक-2561/वि० (2) दिनांक 17.04.98 के आलोक में है ।

4. इस आवंटित राशि से किसी भी परिस्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जाय । यदि आवंटित राशि से
अधिक व्यय किया जाता है तो वह अनियमित होगा ।

5. आवंटित केन्द्रांश की राशि को नियमानुसार जाँच कर उन्हीं विमुक्त वैध बंधुआ मजदूरों को ही
उपलब्ध कराया जाय जिन्हें संबंधित वर्ष में राज्यांश की राशि प्रदान की जा चुकी है।

6. आवंटित राशि से हुए व्यय की सूचना विहित प्रपत्र में आवश्यक टी०भी० नं० तथा तिथि के साथ
निकासी के उपरांत अबिलम्ब निश्चित रूप से उपलब्ध करा दें ।

7. यह आवंटन योजना से संबंधित है ।

विश्वासभाजन,

8.2.17

(गोपाल मीणा)

श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक-6/एफ1-308/16 श्र0सं0-

146

पटना, दिनांक 8.2.17

प्रतिलिपि:- अनुलग्नक सहित महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

8.2.17

(गोपाल मीणा)

श्रमायुक्त, बिहार।

146

पटना, दिनांक 8-2-17

ज्ञापांक-6/एफ1-308/16 श्र0सं0

*स्पीड
पोस्ट

प्रतिलिपि:- अनुलग्नक सहित प्रधान सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/*संबंधित कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी /संबंधित उप श्रमायुक्त /संबंधित श्रम अधीक्षक/ सहायक श्रमायुक्त (शोध) एवं प्रशाखा-01 (श्रम पक्ष) को उनके गै.सं.प्रे.सं.-27(श्रमपक्ष) दिनांक-25.01.17 के आलोक में/प्रशाखा-2 सरकार पक्ष /प्रशाखा-6, बजट शाखा, (श्रम पक्ष) एवं व्यय विवरणी शाखा प्रशाखा-6, (श्रम पक्ष) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. संबंधित उप श्रमायुक्त, सहायक श्रमायुक्त एवं श्रम अधीक्षक को निदेश दिया जाता है कि जिला पदाधिकारी से सम्पर्क स्थापित कर इसका व्यय 31 मार्च 2017 तक सुनिश्चित करायेगें ।
3. उपयोगिता प्रमाण-पत्र का संधारण संबंधित योजना शाखा (प्रशाखा-01) द्वारा किया जायेगा ।

8/2/17

(गोपाल मीणा)
श्रमायुक्त, बिहार।

146

पटना, दिनांक 8-2-17

ज्ञापांक: 6/एफ1-308/16 श्र0सं0-

प्रतिलिपि:- आई०टी०मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

8/2/17

(गोपाल मीणा)
श्रमायुक्त, बिहार।

